भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1686

उत्तर देने की तारीख : 05.12.2024

एमएसएमई के लिए वित्तीय सहायता और परिचालन संबंधी चुनौतियां

1686. श्री अनुराग शर्मा:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एमएसएमई को विशेष रूप से महामारी के बाद आर्थिक माहौल में वित्तीय और परिचालन चुनौतियों से उबरने में मदद करने संबंधी नीतियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या छोटे व्यवसायों के लिए ऋण तक पहुंच का विस्तार करने के लिए कोई नई पहल की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : सरकार ने एमएसएमई के समक्ष, विशेषकर महामारी के उपरांत आर्थिक परिवेश में, आ रही वित्तीय और परिचालन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

i. दिनांक 23.05.2020 से 31.03.2023 तक, सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक भाग के रूप में, एमएसएमई सहित, व्यवसायों के लिए आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) कार्यान्वित की गई। एमएसएमई सहित व्यवसायों को 3.60 लाख करोड़ रुपए की राशि की 1.19 करोड़ गारंटियां जारी की गई हैं। कुल प्रदान की गई गारंटियों में से, 2.38 लाख करोड़ रुपए की राशि की 1.13 करोड़ गारंटी एमएसएमई को प्रदान की गई हैं। ईसीएलजीएस के संबंध में दिनांक 23.01.23 को भारतीय स्टेट बैंक की शोध रिपोर्ट बताती है कि ईसीएलजीएस योजना के कारण लगभग 14.6 लाख एमएसएमई खातों को एनपीए में परिवर्तित होने से बचाया गया, जिनमें से लगभग 93.8 प्रतिशत खाते सूक्ष्म और लघु श्रेणी के थे।

ii. आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी समावेशन।

iii. एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नया संशोधित मानदंड।

iv. 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं होगी।

v. शिकायत निवारण और एमएसएमई को सहायता प्रदान करने सहित ई-गवर्नेंस के कई पहलुओं को कवर करने के लिए जून, 2020 में एक ऑनलाइन पोर्टल "चैंपियंस" का शुभारंभ किया गया।

vi. एमएसएमई की स्थिति में उर्ध्वगामी परिवर्तन होने के मामलों में गैर-कर लाभ 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया।

vii. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले श्रण के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने के लिए दिनांक 11.01.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया।

viii. सभी केन्द्रीय सरकारी मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसयू के लिए महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से 3 प्रतिशत की खरीद सहित अपनी वार्षिक खरीद का कम से कम 25 प्रतिशत एमएसई से खरीदना अनिवार्य किया गया है।

ix दिनांक 02.07.2021 से खुदरा और थोक व्यापारियों को एमएसएमई के रूप में समावेशन करना।

x वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के कोष में 9,000 करोड़ रुपए की राशि के समावेशन के माध्यम से संशोधन किया गया, जिससे अतिरिक्त कोलेटरल-मुक्त गारंटीकृत ऋण की सुविधा को सक्षम बनाया गया है।

(ख) : केंद्रीय बजट 2024-25 में एमएसएमई के लिए एक पैकेज की घोषणा की गई है, जिसमें वित्तपोषण, विनियामक परिवर्तन और प्रौद्योगिकी सहायता को कवर किया गया है, ताकि उन्हें बढ़ने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में भी सहायता मिल सके, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

- विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना;
- एमएसएमई क्रेडिट के लिए नया मूल्यांकन मॉडल;
- दबावग्रस्त अवधि के दौरान एमएसएमई को ऋण सहायता;
- मुद्रा ऋण को सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है;
- एमएसएमई की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार ने उनकी व्यापार प्राप्तियों को नकदी में परिवर्तित करने के लिए ट्रेडस प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए खरीदारों की टर्नओवर सीमा को 500 करोड़ रुपए से घटाकर 250 करोड़ रुपए करना अधिसूचित किया गया है। इस संबंध में दिनांक 07.11.2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-07112024-258523 जारी की गई है।
- क्रेडिट सुविधा तक पहुँच के लिए एमएसएमई क्लस्टरों में नई सिडबी शाखाओं की स्थापना;
- खाद्य विकिरण, गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण के लिए एमएसएमई इकाइयां;

*****